चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

जनरल अनिल चौहान
(30 सितंबर, 2022 को नियुक्त)

पृष्ठभूमि:

- अनुशंसा:
  - के. सुब्रमण्यम समिति 1999
  - लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर (सेवानिवृत्त) समिति 2015
- भारत के पहले CDS: जनरल बिपिन रावत (नियुक्ति 1 जनवरी, 2020 को)

योग्यता:

- कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल।
- नियुक्ति के समय आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिये।

नियुक्ति:

- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त।
- 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद धारण करता है।

उत्तरदायित्व

- सरकार को सिंगल पॉइंट सैन्य सलाह देना
- देश के सामरिक संसाधनों और परमाणु शस्त्रागार का बेहतर प्रबंधन
- अंतर-सेवा सिद्धांतों, खरीद की योजनाओं और परिचालनात्मक समस्याओं का समाधान करते हुए सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- दीर्घकालिक रक्षा योजना और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना
- रक्षा मंत्रालय के साथ सेवा मुख्यालय को एकीकृत करना और नागरिक-सैन्य विभाजन/अंतराल को कम करना

भूमिकाएँ:

- चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) का स्थायी अध्यक्ष और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का सचिव
- इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का प्रमुख
- सदस्यता:
  - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
  - नाभिकीय कमांड प्राधिकरण
  - डिफेंस साइबर एजेंसी
  - डिफेंस स्पेस एजेंसी
  - रक्षा अधिग्रहण परिषद
  - रक्षा योजना समिति
- CDS राजनीतिक नेतृत्व को निष्पक्ष सलाह देने के लिये तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित किसी भी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेगा।

सेवानिवृत्ति के बाद प्रावधान:

- वह किसी भी सरकारी पद पर आसीन होने के योग्य नहीं होगा।
- 5 साल की अवधि तक पूर्व अनुमोदन के बिना कोई निजी रोजगार नहीं।

CDS के पद वाले अन्य देश:

- इटली
- चीन
- युनाइटेड किंगडम
- जापान
- फ्रांस
- स्पेन
- कनाडा

[और पढ़ें...]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-of-defense-staff-1